बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:–2/अ0प्र0–4–112/2015 17 /पटना, दिनांक :– 20.4.2020

श्री नगीना प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, आरा अन्तर्गत L037 बेहरा खजुरिया रोड से सेमरिया पथ के प्राक्कलन में संलग्न चेक लिस्ट पर जमीन का स्थलीय सत्यापन किये बिना जमीन की उपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, चतुर्थ चालू विपत्र में ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 की मापी अंकन में लापरवाही बरतने तथा कार्य पूर्ण करने में विलंब होने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 2776 दिनांक 14.09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 07.10.2016 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री सिंह के विरूद्ध उक्त आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत कार्यालय आदेश ज्ञापांक–210 अनु0 दिनांक 28.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उपेन्द्र किशोर, सहायक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल–3 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4289 अनु0 दिनांक 11.09.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया है।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री नगीना प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री नगीना प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, बड़हरा कोठी को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त किया जाता है।

24/03/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–112/2015 831 /पटना, दिनांक :– 20.4.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, ~~कार्य~~ प्रमंडल, आरा/धमदाहा/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री नगीना प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, बड़हरा कोठी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/2020

अभियंता प्रमुख